

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई
जमानत आवेदन संख्या-149/2026
(झाझा थाना कांड संख्या 607/2024 से उत्पन्न)

उपस्थित - कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अजय यादव

बनाम

राज्य सरकार

आदेश

24.03.2026

- 1- प्रस्तुत जमानत आवेदन अजय यादव उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता मुसहरू यादव, साकिन बैजला, थाना-झाझा, जिला-जमुई, झाझा थाना कांड संख्या 607/2024 में धारा 137(1), 140(1) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार यादव तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्ति लाल शर्मा को सुना गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक 15.01.2026 से काराधीन है।
- 2- अभियोजन का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.12.2024 को शाम के लगभग 04 बजे मृतक बेंगू यादव के गाँव के ही रहने वाला उदेश यादव पे0 अर्जुन यादव, इन्द्रदेव यादव पे0 मोढो यादव के साथ गाँव में ही कहीं धुमने के लिये निकले थे, परन्तु वे अभी तक घर लौट कर नहीं आये हैं। सूचिका तथा उसका पूरा परिवार कल शाम से ही उन्हें ढूँढ रही है, परन्तु अभी तक उनका कोई अता-पता नहीं चल पाया है। सूचिका उन्हें आस पास पड़ोस व रिश्तेदारों के यहाँ भी ढूँढ चूकी है, पर ना जाने वो कहाँ चले गये हैं। सूचिका के पति बेंगू यादव का, सूचक के गाँव बैजला के ही रहने वाले ब्रह्मदेव यादव, मटर यादव, मंटू यादव, अशोक यादव तीनों पे0 ब्रह्मदेव यादव, प्रकाश यादव पे0 भेलू यादव, सुधीर यादव पे0 डोमन यादव, कारू यादव पे0 लोथा यादव, नरेश यादव पे0 मुसहरू यादव, किशोरी यादव, अजय यादव दोनों पे0 मुसहरू यादव उक्त सभी लोगों से 08 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था तथा इन सभी के डर से सूचिका के पति गाँव में भी बहुत कम निकलते थे, सूचिका को शक है कि उसके पति को वे छिपा कर रखे हुए हैं उक्त सभी लोगों से पूछताछ किया जाये तो उसके पति का पता चल सकता है।
- 3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 15.01.2026 से कारा में संसीमित है। आवेदक का वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई जमानत आवेदन धारा 482 या 483 बी0एन0एस0एस0 के तहत न तो इस सत्र न्यायालय में लंबित है और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित है। आवेदक परिवाद वाद संख्या 65सी/17 जी0आर0 केस नं0 496/17 में भी अभियुक्त है जिसमें वह जमानत पर है तथा झाझा थाना कांड संख्या 260/18 में भी आवेदक अभियुक्त है। आवेदक को 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। यह कि आवेदक का नाम मृतक की पत्नी के शंका के आधार पर सामने आया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है उसने अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को इस मामले में केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है जो बिल्कुल निराधार है। मृतक एक पुराना शराबी था और वह किसी के भी साथ शराब पीने जाता था और वह शराब के आवेग में कहीं भी चला जाता है। उपरोक्त के अलावे इस वाद के सहअभियुक्तत व्यक्तियों नामतः मटरू यादव, किशोरी यादव, इन्द्रदेव यादव तथा मंटू यादव को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय के न्यायालय से अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई
जमानत आवेदन संख्या-149/2026
(झांझा थाना कांड संख्या 607/2024 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अजय यादव

बनाम

राज्य सरकार

24.03.2026
लगातार

4- अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।
5- उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 137(1), 140(1) बी0एन0एस0 2023 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। इस वाद में आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 113/17 अन्य सभियुक्तों के साथ दिनांक 27.05.2017 को समर्पित किया चुका है तथा केस का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। वाद में वाद दैनिकी भी समर्पित किया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 39 में अंकित है कि अबतक के अनुसंधान, घटनास्थल का निरीक्षण, वादिनी एवं साक्षियों के बयान, प्रवेक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों से यह कांड प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 140(1), 103(1), 61(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत सत्य पाया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त उदेश यादव पे0 अर्जुन यादव के विरुद्ध आरोपपत्र संख्या 365/25 दिनांक 31.05.2025 को समर्पित किया जा चुका है। प्राथमिकी अभियुक्त ब्रह्मदेव यादव पे0 स्वगीय फुदीराम यादव को दिनांक 05.07.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस आवेदक के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण है एवं इनके विरुद्ध अनुसंधानपूर्ण आरोप पत्र 113/17 दिनांक 27.05.17 को समर्पित किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। प्राथमिकी के अनुसार आरोप यह है कि मृतक एवं सूचिका उर्मिला देवी के पति बेंगू यादव दिनांक 29.12.24 को शाम बजे सूचिका के गांव के ही रहने वाले उदेश यादव पे0 अर्जुन यादव एवं इन्द्रदेव यादव पे0 मोढ़न यादव के साथ गांव में कहीं घुमने के लिए निकले थे परंतु घर लौटकर नहीं आए। सूचिका का पूरा परिवार उन्हें ढूंढ रहा था तथा सूचिका के गांव बैजला के ही रहने वाले ब्रह्मदेव यादव, मटर यादव, मंटू यादव, अशोक यादव तीनों पे0 ब्रह्मदेव यादव, प्रकाश यादव पे0 भेलू यादव, सुधीर यादव पे0 डोमन यादव, कारू यादव पे0 लोथा यादव, नरेश यादव पे0 मुसहरू यादव, किशोरी यादव, अजय यादव दोनों पे0 मुसहरू यादव उक्त सभी लोगों से 08 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था तथा इन सभी के डर से सूचिका के पति गाँव में भी बहुत कम निकलते थे। सूचिका ने आगे कथन किया है कि सूचिका को शक है कि इन लोगों ने ही उसके पति को छुपाकर रखे हुए हैं। अगर उनलोगों से पूछताछ किया जाए तो उसके पति का पता चल सकता है। इसप्रकार प्राथमिकी में आवेदक पर मृतक के हत्या का आरोप सीधा आरोप नहीं है केवल इस बात का शंका व्यक्त किया गया है कि यही लोग उसके पति को छुपाकर रखे हुए हैं। वाद दैनिकी की कंडिका 02 में वादिनी सूचिका का पुनः बयान है। पुनः बयान में भी सूचिका ने यही बयान दिया है कि मुझे शक है कि आवेदक एवं अन्य आवेदकगण उसके पति को छुपाकर रखे हैं।
वाद दैनिकी की कंडिका 03 में अंकित है कि दिनांक 31.12.24 को दूरभाष के जरिए सूचना मिली कि बैजला गांव के बेंगू यादव दिनांक 29.12.24 को शाम के लगभग 4 बजे अपने घर से शराब पीने के लिए उदेश यादव पे0 अर्जुन यादव, इन्द्रदेव यादव पे0 मोढ़न यादव दोनों सा0 बैजला, थाना-झांझा, जिला जमुई के साथ सा0 सडैया के लिए निकले थे। परन्तु वो अभी तक घर लौटकर

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई
जमानत आवेदन संख्या-149/2026
(झांझा थाना कांड संख्या 607/2024 से उत्पन्न)

उपस्थित - कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अजय यादव

बनाम

राज्य सरकार

24.03.2026
लगातार

नहीं आये हैं। उक्त सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाही हेतु पु0नि0 सह थानाध्यक्ष झांझा थाना साथ पु0अ0नि0 नंदन कुमार एवं सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान किया और सा0 बैजला पहुंच कर घटना के बारे में पता लगाया तो पता चला कि बेंगु यादव पे0 पैरु यादव सा0 बैजला अपने गांव के ही उदेश यादव, इन्द्रदेव यादव, मोहन यादव के साथ दारु पीने के लिये सडैया गांव गये थे इसके बाद वह वापस अपने घर नहीं आये। इसके बाद सभी प्राथमिकी अभियुक्त के घर पर बारी-बारी से घटना के सच्चाई का पता लगाने हेतु पहुंचा तो सभी के घर पर तालाबंद पाया। इसके बाद सा0 बैजला से सडैया गांव पहुंचा तो कारु टुडु उम्र करीब 50 वर्ष पे0 गुडुमा टुडु एवं अन्य के द्वारा बताया गया कि यहां पैरु यादव उर्फ बेंगु यादव नहीं आया। इसके बाद पुनः बैजला गांव वापस आया और बेंगु यादव के पत्नी को आवेदन देने के लिए अनुरोध किया इसके बाद बेंगु यादव की पत्नी उर्मिला देवी थाना आई और लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। वाद दैनिकी की कंडिका 06 में घटनास्थल का विवरण है। वाद दैनिकी की कंडिका 07 में साक्षी सविता देवी, कंडिका 08 में साक्षी सिसमा देवी का बयान है। इन साक्षियों ने अपने बयान में इस वाद में आवेदक के संपत्ति के संबंध में साक्ष्य नहीं दिया है। वाद दैनिकी की कंडिका 09 में साक्षी अशोक यादव ने बयान दिया है कि ये कोलकाता में रहते थे। दिनांक 30.12.24 को इनकी मां के द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचना दिया गया कि इनके पिता को घर से उदेश यादव एवं इन्द्रदेव यादव के द्वारा मोटरसाईकिल पर बैठाकर सडैया गांव की ओर ले गए थे। इसके बाद जब वे वापस घर नहीं लौटे तो उनका खोजबीन घर के लोगों द्वारा किया गया। ये साक्षी दिनांक 30.12.24 को घर वापस आए और उदेश यादव एवं इन्द्रदेव यादव से पूछताछ किया तो इन दोनों के द्वारा बताया गया कि मुर्गा लाने के लिए सडैया तुम्हारे घर के पास से जा रहे थे तो तुम्हारे पिता के द्वारा बोला गया कि हमको भी लेते चलो तो हम तुम्हारे पिता को सडैया गांव लेते गए, जहां तुम्हारे पिता जी उतरे इसके बाद तुम्हारे पिता जी कहा गये हैं, हम नहीं जानते हैं। इस साक्षी ने आगे बयान में कहा है कि हमें शक है कि हमारे ही गांव के नरेश यादव से मेरा जमीनी विवाद है और हम दोनों के बीच परिवार में भी केस हो चुका है। कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी शराब पीकर कहीं गाली गलौज कर रहे थे, जिसको लेकर हमारे गांव के ही कुछ आदमी मटरु यादव, पे0 ब्रह्मदेव यादव, प्रकाश यादव पे0 भेलु यादव, सुधीर यादव पे0 डोमन यादव, कारु यादव पे0 लोथा यादव से लड़ाई हुआ था और दिनांक 28.12.24 को कारु यादव हमारे पिता जी को मारने के लिए दौड़ा भी था। इसकी जानकारी हमारे पिता जी के द्वारा ही फोन करके दिया गया था। हमें शक है कि इन लोगों के द्वारा ही योजना बनाकर मेरे पिता जी के साथ कुछ किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 40 में द्वितीय घटनास्थल है। इस कांड में द्वितीय घटनास्थल झांझा थाना अन्तर्गत मृतक का गांव बैजला एवं मृतक जहां शराब पीने के लिए गया था, के बीच स्थित नकटी डैम नोनचीत घाट जो अपहृत बेंगु यादव का शव दोनो धार के बीच में पड़ा है। इसकी फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी किया गया। घटनास्थल पर एफ0एस0एल0 टीम के द्वारा मृतक के शव को बाहर निकलवाया गया एवं शव से साक्ष्य एकट्ठा

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई
जमानत आवेदन संख्या-149/2026
(झांझा थाना कांड संख्या 607/2024 से उत्पन्न)

उपस्थित - कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अजय यादव

बनाम

राज्य सरकार

24.03.2026

लगातार

किया जिसका साक्ष्य निम्न प्रकार है। जिसमें अपराध की प्रकृति में बंगू यादव की हत्या का संदेह किया गया है। जांच हेतु साक्ष्य अंकित किया गया जो वाद दैनिकी की कांडिका में अंकित है। इस वाद में प्राथमिकी अभियुक्त उदेश कुमार पिता अर्जुन यादव जिसके साथ मृतक को अंतिम समय देखा गया और उन पर आरोप था कि वहीं मृतक को बैठाकर सड़ैया गांव ले गए थे। उन्हें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 46357/25 में दिनांक 11.09.25 के आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान किया जा चुका है तथा सहअभियुक्त किशोरी यादव को ए0बी0ए0 संख्या 1852/25 में दिनांक 31.01.2026 के आदेश से जमानत प्रदान की गई है। वर्तमान आवेदक को अभियुक्त के साथ किसी के द्वारा घटना की तिथि पर कभी नहीं देखा गया और न ही किसी साक्षी द्वारा आवेदक पर कोई स्पष्ट आरोप है। वाद दैनिकी के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का नाम केवल संदेह के आधार पर इस वाद में आया है। सूचिका ने भी अपने बयान में तथा प्राथमिकी में कहा है कि उसे शंका है कि अन्य सहअभियुक्तों के साथ उसके पति को कहीं छुपाया गया है। इस आवेदक के विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किया जा चुका है तथा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आवेदक दिनांक 15.01.2026 से लगातार कारा में संसीमित हैं। आवेदक को मुक्त किए जाने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है तथा आवेदक के जमानत का आधार सहअभियुक्त उदेश कुमार तथा जमानत प्राप्त अन्य सहअभियुक्तों के जमानत के आधार से बेहतर है। अतः आवेदक अभियुक्त को निम्न शर्तों के साथ 10,000/-रु० के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें-

1. एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होगा।
2. आवेदक प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक यदि लगातार तीन तिथियों में उपस्थित नहीं होता है और जमानत के शर्तों का उल्लंघन करता है तो संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक का बंधपत्र आवेदक को बिना सूचना दिए खंडित किया जा सकता है।
4. आवेदक वाद के विचारण में सहयोग करेगा तथरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी साक्षी अथवा साक्ष्यों को न तो प्रभावित करेगा और न ही प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो नं.-..... दिनांक-.....

प्रति अग्रसारित:-विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई